

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ जयपुर

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2021

प्रार्थना पत्र संख्या...10.6/21

सरकार बनाम रूधनाथ वगैरह

अन्तर्गत धारा 131,132 एल0 आर0 एक्ट 1956

निर्णय दिनांक:-03.11.2021

2021
381

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार चौमूँ एव उपतहसीलदार खेजरोली द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के कैम्प निन्दौला में रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम निन्दौला तहसील चौमूँ के निम्नांकित प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्सा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित भूमि पर मौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 131,132 राज0 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण प्रेषित किया है, रिपोर्ट तहसीलदार, उपतहसीलदार खेजरोली एवं सरपंच ग्राम पंचायत निन्दौला के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से आम रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0- भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 व 86 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण के अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम की भूमि में से (मुताबिक एनक्सर-1 व नजरी नक्सा ट्रेस) अनुसार किस्म गै.मू. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खातेदारी भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं।

क्र0स0	नाम राजस्व ग्राम	खं.नं.	कुल रकबा (हेक्ट0 में)	किस्म	रास्ते दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा (वर्गमीटर में)	वि.वि
1.	निन्दौला	7306	0.29	चाही2	284	
2.		7117	0.36	चाही1	68	
3.		7306/8237	0.20	चाही2	116	
4.		7108	0.67	चाही1	204	
5.		7320	0.51	चाही1	280	
6.		7105	0.48	चाही1	112	
7.		7104	0.79	चाही1	214	
8.		7321	0.54	चाही1	76	
9.		7917	0.43	चाही1	144	
10.		7918	0.56	चाही1	72	
11.		7919	0.32	चाही1	50	
12.		7920	0.31	चाही1	54	
13.		7929	0.85	चाही1	170	
14.		7921	0.71	चाही1	160	
15.		7928	0.25	चाही1	44	
16.		7922	0.38	बारानी1	248	
17.		7922/8578	0.13	बारानी1	182	
18.		7923	0.20	बारानी1	180	
19.		7906/8185	0.90	चाही1	12	

उक्तानुसार निजी खातेदारी में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावेगा।

निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हेतु तहसीलदार चौमूँ को आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.11.2021 को केम्प कोर्ट में सुनाया गया।



कैम्प प्रशासक अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ (जयपुर)